उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या:07/2025-471(1)/2025-83-1099/78/2022

लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत कराना है कि नागरिक सुरक्षा विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत प्रदेश के 15 जनपदों यथा-लखनऊ, कानपुर नगर, मथुरा, झांसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, बुलन्दशहर (नरौरा), गोरखपुर, प्रयागराज, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली) में नागरिक सुरक्षा कोर पूर्व से स्थापित व संचालित है| नागरिक सुरक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या-659/छः ना०सु०-15-11 प्रकीर्ण/02, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा 02 जनपदों यथा-बागपत एवं मुजफ्फरनगर में तथा अधिसूचना संख्या-102/83-21-42सीडी/12, दिनांक 09 मार्च, 2021 द्वारा 09 जनपदों यथा-अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोण्डा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद एवं मिर्जापुर में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापित किये जाने के आदेश पूर्व में निर्गत हैं |

2- प्रदेश के अवशेष 49 जनपदों यथा-अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, बिजनौर, बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, अमरोहा, कासगंज, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, कुशीनगर, कौशांबी, महोबा, मैनपुरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, संभल, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर में नागरिक सुरक्षा कोर स्थापित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या-471/2025-83-1099/78/2022, दिनांक 29 मई, 2025 द्वारा निर्गत की गई है, जिसकी प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी) संलग्न कर परिचालित की जा रही है |

संलग्नक: यथोक्त |

मनोज कुमार राय

विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव |

प्रतिलिपि प्रश्नगत अधिसूचना की प्रति (अंग्रेजी/हिन्दी) संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ईस्ट ब्लाक-VII, लेवल-7, आर0के0 पुरम, नई दिल्ली ।

2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- जिलाधिकारी, अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, बिजनौर, बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, अमरोहा, कासगंज, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, कुशीनगर, कौशांबी, महोबा, मैनपुरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, संभल, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर।

5- जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा लखनऊ, कानपुर नगर, मथुरा, झांसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, बुलन्दशहर (नरौरा), गोरखपुर, प्रयागराज, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), बागपत, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोण्डा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद एवं मिर्जापुर ।

6- समस्त पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० द्वारा निदेशक, नागरिक सुरक्षा।

7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2025 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियां नागरिक सुरक्षा अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

जय सिंह

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या-471/2025-83-1099/78/2022

लखनऊ; दिनांक: 29 मई, 2025

अधिसूचना

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या. 27 सन् 1968) की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के जिलों यथा-अंबेडकर नगर, अमेठी, औरैया, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलिया, बिजनौर, बदायूं, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, अमरोहा, कासगंज, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, हापुड़, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, कुशीनगर, कौशांबी, महोबा, मैनपुरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, संभल, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर के लिए व्यक्तियों के एक निकाय का गठन करते हैं, जिसे सम्बंधित जिलों का नागरिक सुरक्षा कोर कहा जाएगा, और सम्बंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त कोरों का समादेशन करने के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-17 के खण्ड (क) के अधीन निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) और नागरिक सुरक्षा नियमावली, 1968 के नियम-19 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये जायेंगे ।

आज्ञा से,

संयुक्ता समद्दार

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan

Nagrik Suraksha Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 471/2025-83-1099/78/2022, dated 29 May, 2025.

Notification

No. 471/2025-83-1099/78/2022

Lucknow; Dated: 29 May, 2025

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Civil Defence Act, 1968 (Act no. 27 of 1968), the Governor is pleased to constitute for the districts of the State viz-Ambedkar Nagar, Amethi, Auraiya, Unnao, Bahraich, Barabanki, Ballia, Bijnor, Badaun, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Fatehpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Kannauj, Amroha, Kasganj, Kanpur Dehat, Gautam Buddha Nagar, Ghazipur, Hapur, Hamirpur, Lakhimpur Kheri, Lalitpur, Kushinagar, Kaushambi, Mahoba, Mainpuri, Maharajganj, Mau, Pilibhit, Pratapgarh, Rampur, Rae Bareli, Sambhal, Sant Ravidas Nagar, Sant Kabir Nagar, Shahjahanpur, Shamli, Sitapur, Shravasti, Sonbhadra, Sultanpur, Siddharthnagar and Balrampur a body of persons to be called Civil Defence Corps, of the respective districts and to appoint the District Magistrate of the respective districts as the Controller to command the said Corps.

The Governor is further pleased to direct under clause (a) of section 17 of the aforesaid Act that the District Magistrate of the aforesaid districts shall be authorised to exercise the powers under sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act and sub-rule (1) of rule 19 of the Civil Defence Rules,1968.

By order,

Sanyukta Samaddar

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।